



# बुलन्दशहर पुलिस



## OPERATION CONVICTION

### गैंगस्टर के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास

दिनांक- 09.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "Operation Conviction" के तहत बुलन्दशहर पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप **थाना शिकारपुर पर जनता में भय व आतंक व्याप्त करने के सम्बन्ध में** पंजीकृत मु०अ०सं०-139/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त **अमित उर्फ मुत्तु कसाई पुत्र मदन निवासी ग्राम सांवली थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर को** मा०न्याया० एडीजे-08 स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा **02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये जुर्माना से** दण्डित किया गया ।



श्री योगेश कुमार  
(ADGC)



नि. श्री यशपाल सिंह  
(प्रभारी मॉनीटरिंग सैल)



है०का० जितेन्द्र  
(पैरोकार)



है०का० नीरज  
(कोर्ट मोहर्रि)